

(सूची- I)
विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवेदन -पत्र
नियम 9 (1) देखें

1. आवेदक का नाम (साफ अक्षरों में) :
2. पिता का नाम :
3. जन्म तिथि :
4. सेवा का नाम :
(नियुक्ति आदि परिवीक्षाधीन/स्थायी/अस्थायी
हो कृपया इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख करें)
5. पद एवं नियुक्ति का स्थान :
6. यदि विभागीय परीक्षा के नियमों के अंतर्गत :
पहले कभी परीक्षा में बैठे हो तो तिथि एवं जिन
प्रश्न पत्रों में उत्तीर्ण हो गये हो, उल्लेख करें।
7. गत परीक्षा की पंजीयन संख्या यदि कोई हो :
8. सेवा का नाम जिसकी विभागीय परीक्षा में
बैठना चाहते हैं। :
9. प्रश्न पत्र जिसमें बैठना चाहते हैं :
 - 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.
 - 5.
 - 6.

दिनांक:-

आवेदक के हस्ताक्षर एवं
पद
पूरा पता

हस्ताक्षर प्रमाणित किये जाकर आवेदन पत्र निदेशक एवं पंजीयक, विभागीय परीक्षाएँ,
समस्त राज्य सेवाएँ, हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जे.एल. एन. मार्ग,
जयपुर-302017 को प्रेषित है।

आवेदक के उच्च अधिकारी
के हस्ताक्षर एवं पद

नोट:- आवेदन पत्र भरने संबंधी निर्देश पीछे दिये गये हैं।। जिस प्रश्न पत्र में छूट चाहे उसके बारे
में क्रम संख्या 9 में उसका स्पष्ट उल्लेख करें।

कार्यालय पंजीयक विभागीय परीक्षारे ॥ समस्त राज्य सेवाएं ॥ एवं निदेशक,
हरिश्चन्द्र मापुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर-302017

क्रम सं. -----

पंजी संख्या -----

श्री ----- जो -----

में हैं और इस समय ----- के पद पर कार्य कर रहे हैं, को

विभागीय परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाती है। जहाँ कि दिनांक -----
से दिनांक ----- तक हरिश्चन्द्र मापुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान,
जयपुर में होगी।

उनकी पंजी संख्या उमर अंकित की गई है। भविष्य में पत्र व्यवहार करते समय
इसका उल्लेख करना आवश्यक है।

पंजीयक,
विभागीय परीक्षारे, निदेशक,
हरिश्चन्द्र मापुर राजस्थान राज्य
लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर-302017

आवेदन पत्र भरने के लिए निर्देश

1. आवेदन पत्र प्रार्थी को स्वयं अपने हाथ से स्याही से भरना चाहिये।
2. अपना निपुणित स्थान पूर्ण एवं स्पष्ट लिखे जिससे रोल नं. प्राप्त होने में
विलम्ब न हो।
3. उच्च अधिकारी को प्रार्थना पत्र प्रेषित करने से पूर्व उसमें की गई पूर्तियों की
सत्यता की जांच कर लेनी चाहिये।
4. हस्ताक्षर के नीचे कोष्ठक में पूरा नाम लिखना चाहिये।
5. पंजीयक विभागीय परीक्षारे से प्राप्त रोल नं. लिप्योतित नोट सीमांत कर रखनी
चाहिये। इसे परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए परीक्षा अधीक्षक के सम्मुख प्रस्तुत
करनी होगी।
6. परीक्षा में बैठने वाले परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र टंकित, पुद्रित एवं साईवतो-
स्टाइल किये हुए तथा उत्तर पुस्तकें दी जायेगी। अन्य लेखन सामग्री उन्हें
स्वयं को लेनी होगी।
7. जिन प्रश्न पत्रों के नियम, आदेश आदि के उपयोग की छूट है, उनमें केवल वही
नियम, आदेश ताने की इजाजत होगी जिनके साथ दिखानी नहीं होगी।
8. आवेदन पत्र क्रम सं. 4 के तालीम स्पष्ट रूप से यह भी बताना चाहिये कि
कह विभागीय परीक्षा 0 के किस प्राधान्य के अनुसार विभागीय परीक्षा में
सम्मिलित होने के पात्र है।
9. जिन प्रश्न पत्रों से छूट चाही है उनके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र की सत्यापिततिपि
प्रार्थना पत्र के साथ भेजे। जैसे दिल्ली प्रश्न पत्र से छूट चाहने के लिए हाईस्कूल
एवं उच्च परीक्षा दिल्ली विषय संस्था उत्तीर्ण कर लेने के परीक्षा प्रमाण पत्र की
सत्य प्रतिलिपि आवेदन पत्र के साथ भेजे।
10. अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।